<u>लोकल खरीद के मामलों में सूत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया</u>

1. उत्तर मध्य रेलवे के सभी पंजीकृत स्रोत स्वत: रूप से उनके संबंधित व्यापार समूहों के लिए और डिवीजन में उनके अनुरोध पर उनकी संबंधित मौद्रिक सीमा तक पंजीकृत स्रोतों के रूप में स्वीकार किए जाते है।

2. जब कोई नया स्रोत डिवीजन मे पंजीकरण हेतु अपने लेटर हेड पर अनुरोध करता है तो विचार के बाद उन्हे निम्न विषयो की पुष्टि के बाद डिवीजन मे पंजीकृत कर दिया जाता है।

i. राज्य बिक्री / व्यापार कर पंजीकरण प्रमाणपत्र और रिटर्न।
ii.बिजली कनेक्शन रसीद एवं मासिक बिल।
iii.टेलिफोन बिल।
iv.शॉप और / या स्थानीय नगर निकाय के साथ कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र ।
v. इनकम टैक्स रिटर्न।
vi. वार्षिक कारोबार
vii. पिछ्ले प्रदर्शन के कथन।

3. सामान्यता फर्म एक साल की अवधि के लिए पंजीकृत किए जाते हैं लेकिन पिछ्ले प्रदर्शन कथन नहीं होने पर फर्म 3-6 महीने के लिए प्रावधिक रूप से पंजीकृत किए जाते हैं।

4. फर्म को कंप्यूटर पार्ट्स, हार्डवेयर, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल आदि की व्यापक मदों की श्रेणियों के लिए पंजीकृत किया जा रहा है ।(श्रेणियां जरूरत के अनुसार निर्धारित है)

5.रेलवे / डिवीजन किसी भी फर्म के लिए बिना कोई कारण बताए पंजीकरण अस्वीकार या आवेदन की अनदेखी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।